रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244837 CG-DL-E-31032023-244837

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1505] No. 1505] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. 21/2023-सीमा शुल्क (गै. टै.)

का आ. 1567(अ).—वित्त अधिनियम 2023 (2023 का 08) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा -

- (i) 31 मार्च, 2023 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 135 के खंड (क) और (ख) के प्रावधान प्रवृत्त होंगे;
- (ii) 1 अप्रैल, 2023 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 128 और 131 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 190354/45/2023-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

2204 GI/2023 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 21/2023-Customs (N.T.)

- **S.O. 1567(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2023 (08 of 2023), the Central Government hereby appoints -
 - (i) the 31st day of March, 2023, as the date on which the provisions of clauses (a) and (b) of section 135 of the said Act shall come into force;
 - (ii) the 1st day of April, 2023, as the date on which the provisions of sections 128 and 131 of the said Act shall come into force.

[F. No. 190354/45/2023-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.